



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-05102020-222242
CG-DL-W-05102020-222242

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 35] नई दिल्ली, सितम्बर 20—सितम्बर 26, 2020, शनिवार/ भाद्र 29—आश्विन 4, 1942
No. 35] NEW DELHI, SEPTEMBER 20—SEPTEMBER 26, 2020, SATURDAY/BHADRA 29—ASVINA 4, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2020

का.आ. 835.—निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) की धारा 6 की उप-धारा 2 के खंड (ii) के साथ पठित धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री हर्ष कुमार भनवाला, अध्यक्ष, नाबार्ड को दिनांक 17.6.2020 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में पुनर्नामित करती है।

[फा. सं. 6/13/2012—बीओ-I]

एस. के. राँय, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 10th January, 2020

S.O. 835.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 6 read with clause (ii) of sub-section (2) of section 6 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (47 of 1961), Central Government hereby re-nominates Shri Harsh Kumar Bhanwala, Chairman, NABARD as a Director on the Board of Directors of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation for a period up to 17.6.2020 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/13/2012-BO-I]

S. K. ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2020

का.आ. 836.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उपधारा (4) के साथ पठित उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री माइकल देबब्रत पात्रा (जन्म तिथि 29.09.1960) को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 2,25,000/- (लेवल-17) के वेतनमान में भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 7/1/2012-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 14th January, 2020

S.O. 836.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) read with sub-section (4) of section 8 of The Reserve Bank of India Act, 1934, the Central Government hereby appoints Shri Michael Debabrata Patra (Date of Birth: 29.9.1960), Executive Director, Reserve Bank of India to the post of Deputy Governor, Reserve Bank of India in the pay scale of Rs. 2,25,000/- (Level 17), for a period of three years from the date of joining the post or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 7/1/2012-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2020

का.आ. 837.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, पंजाब नैशनल बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री लिंगम वेंकट प्रभाकर (जन्म तिथि 12.12.1962) को दिनांक 1.2.2020 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से और अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख (अर्थात् 31.12.2022) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, केनरा बैंक में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/3/2019-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 20th January, 2020

S.O. 837.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby appoints Shri Lingam Venkata Prabhakar (Date of Birth: 12.12.1962), Executive Director, Punjab National Bank as Managing Director and Chief Executive Officer, Canara Bank with effect from the date of assumption of office on or after 1.2.2020 and up to the date of his attaining the age of superannuation (i.e., 31.12.2022), or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/3/2019-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2020

का.आ. 838.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक श्री संजीव चड्ढा (जन्म तिथि 25.6.1963) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक आफ बड़ौदा में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/3/2019-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 20th January, 2020

S.O. 838.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby appoints Shri Sanjiv Chadha (Date of Birth: 25.6.1963), Deputy Managing Director, State Bank of India as Managing Director and Chief Executive Officer, Bank of Baroda for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/3/2019-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2020

का.आ. 839.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, बैंक आफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक श्री अतानु कुमार दास (जन्म तिथि 10.6.1963) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक आफ इंडिया में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/3/2019-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 20th January, 2020

S.O. 839.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby appoints Shri Atanu Kumar Das (Date of Birth: 10.6.1963), Executive Director, Bank of India as Managing Director and Chief Executive Officer, Bank of India for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/3/2019-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2020

का.आ. 840.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 20 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 19 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक श्री चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी (जन्म तिथि: 26.9.1965) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 2/1/2016-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 20th January, 2020

S.O. 840.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 19 read with sub-section (1) of section 20 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, hereby appoints Shri Challa Sreenivasulu Setty (Date of Birth: 26.9.1965), Deputy Managing Director, State Bank of India as Managing Director, State Bank of India for a period of three years with effect from the date of his taking over charge of the post, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 2/1/2016-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2020

का.आ. 841.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा, यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (i) के उपबंध इण्डियन ओवरसीज बैंक पर लागू नहीं होंगे, जहां तक इसका संबंध इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री कर्णम सेकर को दिनांक 30.6.2020 तक की अवधि के लिए अर्थात् उनकी अधिवर्षिता की आयु तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में अतिरिक्त नामिती निदेशक के रूप में नामित करने से है।

[फा. सं. 13/7/2018-बीओ-I]

एस. के. राय, अवर सचिव

New Delhi, the 5th February, 2020

S.O. 841.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declare that the provisions of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the said Act shall not apply to Indian Overseas Bank in relation to the nomination of Shri Karnam Sekar, Managing Director and Chief Executive Officer, Indian Overseas Bank on the Board of Universal Sompo General Insurance Company limited as an Additional Nominee Director, for a period up to 30.6.2020, i.e. date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 13/7/2018-BO-I]

S. K. ROY, Under. Secy.

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2020

का.आ. 842.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, सिंडिकेट बैंक के विशेष कार्य अधिकारी और पूर्णकालिक निदेशक श्री नागेश्वर राव वाई. (जन्म तिथि: 12.7.1961) के कार्यकाल को दिनांक 21.1.2020 से दिनांक 30.3.2020 तक बढ़ाती है और श्री ए. सी. राउत के स्थान पर बैंक आफ महाराष्ट्र में कार्यपालक निदेशक के पद पर उनकी नियुक्ति को दिनांक 31.3.2020 से 21.1.2021 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

[फा. सं. 4/4/2018-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 18th February, 2020

S.O. 842.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby extends the term of office of Shri Nageswara Rao Y. (date of birth: 12.7.1961), Officer on Special Duty and whole-time director, Syndicate Bank beyond 21.1.2020 till 30.3.2020 and his appointment as Executive Director, Bank of Maharashtra vice Shri A.C. Rout with effect from 31.3.2020 till 21.1.2021, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/4/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2020

का.आ. 843.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री एम. के. भट्टाचार्य, कार्यपालक निदेशक, इंडियन बैंक के कार्यकाल की अवधि को दिनांक 17.2.2020 से उनकी अधिवर्षिता की तारीख, अर्थात् 30.11.2020 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

[फा. सं. 4/5/2016-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 18th February, 2020

S.O. 843.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby extends the term of office of Shri M. K. Bhattacharya as Executive Director, Indian Bank for a period beyond 17.2.2020 till the date of his superannuation, i.e., 30.11.2020, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/5/2016-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2020

का.आ. 844.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, डॉ. फरीद अहमद, कार्यपालक निदेशक, पंजाब एंड सिंध बैंक के कार्यकाल की अवधि को दिनांक 16.2.2020 से उनकी अधिवर्षिता की तारीख, अर्थात् 31.7.2020 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

[फा. सं. 4/5/2016—बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 18th February, 2020

S.O. 844.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, Central Government hereby extends the term of office of Dr Fareed Ahmed as Executive Director, Punjab & Sind Bank for a period beyond 16.2.2020 till the date of his superannuation, *i.e.*, 31.7.2020, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/5/2016-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.